उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या–क0नि05–893 / 11–2010–500(83) / 2005

लखनऊ दिनांक 06 मई, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि05–2915 / ग्यारह – 2004–500(87) / 2004 दिनांक 09 जुलाई, 2004 का अधिक्रमण करके राज्यपाल, हाईटेक टाऊनशिप नीति, 2003 के अधीन चयनित हाईटेक टाऊनशिप विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरण /आवास विकास परिषद, उ0प्र0 और निजी निवेशकर्ता कम्पनी के मध्य निष्पादित उक्त अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण के प्रथम लिखत या अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) उप खण्ड (छ), खण्ड (ख) के उप खण्ड (दो) या खण्ड (ग) के उप खण्ड (दो) के अधीन 90 वर्ष की अवधि के लिए पटटे के लिखत और साथ ही साथ भू–स्वामी और निजी निवेशकर्ता विकासकर्ता कम्पनी जो 5 वर्ष की अवधि के भीतर भूमि के विकास के लिए राज्य में सात सौ पचास करोड़ रूपये से न्यून निवेशित करेगी, के मध्य अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छूट प्रदान करते हैं। सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग या उसके द्वारा लिखित आदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत संगठन के किसी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिले के पंजीयनकर्ता अधिकारी को निजी निवेशकर्ता विकासकर्ता कम्पनी के पक्ष में स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के उपर्युक्त लिखत का प्रस्तुतिकरण के पूर्व उपर्युक्त शर्त पूर्ण करने का प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जायेगी।

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अधीन–

(एक) सम्पूर्ण हाईटेक टाऊनशिप के अधिकतम 1500 एकड़ भूमि जिसमें हाईटेक टाऊनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत पहले से छूट प्राप्त की जा चुकी है भूमि भी शमिल है, को ही यह छूट अनुमन्य होगी।

(दो) स्टाम्प डयूटी से छूट केवल उन्हीं विकासकर्ता कम्पनी को अनुमन्य होगी, जो हाईटेक टाऊनशिप नीति, 2003 से आच्छादित हैं।

(तीन) हाईटेक टाऊनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत चयनित ऐसे हाईटेक टाऊनशिप को छूट अनुमन्य नहीं होगी, जिनका विस्तार हाईटेक टाऊनशिप नीति, 2007 के अन्तर्गत आच्छादित है।

(चार) हाईटेक टाऊनशिप नीति, 2007 के अधीन अनुमोदित टाऊनशिप को स्टाम्प डयूटी से छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(पांच) ऐसे किसी लिखत पर संदत्त स्टाम्प शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

ह0 अस्पष्ट

(दुर्गा शंकर मिश्र)

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.5-893/11-2010-500 (83)/2005 dated, May 06, 2010 for general information.

Notification

No. K.N.5-893/11-2010-500 (83)/2005

Lucknow, Dated May 06, 2010

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897) and in supersession of Government notification no. K.N.5-2915/XI-2004-500 (87)/2001 dated July 09, 2004, the Governor is pleased to remit the stamp duty from the date of publication of this notification in the Gazette, for the development of High-tech Township selected under the High-Tech Township Policy, 2003, chargeable on the first instruments of Conveyance under clause (a) of Article 23 or instrument of Lease for a period of 90 years under sub-clause (vi) of clause (a), sub-clause (ii) of clause (b) or sub-clause (ii) of clause (c) of Article 35 of Schedule I-B of the said Act of 1899 executed between the Development

Authority/Avas Vikas Parishad, Uttar Pradesh and the private investor developer company as well as the instrument of conveyance under clause (a) of Article 23 between the land owner and private investor developer company, which shall invest not less than rupees seven hundred and fifty crore in the State for the development of land within a period of five years from the date of publication of this notification. A certificate of fulfillment of the above condition shall be issued by the Secretary, Awas Evam Shahri Niyojan Vibhag or any officer of the organisation working under the Awas Evam Shahri Niyojan Vibhag, nominated by him in writing, before presentation of the above instrument of transfer of immoveable property in favour of the private investor developer company to the Registering Officer of the concerned district. A copy of such certificate shall also be sent to the Inspector General of Registration, Uttar Pradesh, Allahabad.

Provided that under this notification,-

(i) the remission shall only be admissible up to the maximum of 1500 acre land of the whole High-Tech Township including the land on which remission has already been claimed under High-Tech Township Policy, 2003.

(ii) remission from stamp duty shall be admissible only to such developer companies, which are covered by High-Tech Township Policy, 2003.

(iii) No remission from stamp duty shall be admissible to High-Tech Township selected under High-Tech Township Policy, 2003, whose extension is covered by High-Tech Township Policy, 2007.

(iv) No remission from stamp duty shall be admissible to the township approved under High-Tech Township Policy, 2007.

(v) Any stamp duty, which has been paid on any instrument shall not be refunded.

By order,

Sd/-Illegible

(Durga Shankar Mishra),

Pramukh Sachiv.